

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सिकराय

नं अ नुक्रमा नुदालत सिकराय
 सरकार बनाम मु० नं०
 2/11 50/17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

वकील वादी अपनी वाद को आपो नहीं चलाकर नोट
 पेश किया।
 वकील वादी द्वारा दावा नोट पेश
 करने के कारण दावा खारिज किया जाता है।
 पत्रावली फाइल नुमांदा लेकर नम्बर से कम हो।
 निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनने-यायालय
 में सुनाया गया।

31 29/11/19
 जिला न्यायालय
 जिला न्यायाधीश

Not per
 29/11

जज
 29/11/19 को
 अ

जज
 29/11/19 को

पक्ष उपस्थित
 29/11/19 को

उपस्थित
 काठार

